



समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

R-3832-18R/14 निगरानी प्रकरण क्र. ~~3282-18R~~/2014

1. दिनेश कुमार साहू पुत्र स्व० श्री गणेश कुमार साहू
2. आलोक साहू पुत्र स्व० श्री नत्थूलाल साहू
3. नितिन झा पुत्र स्व० श्री आर०बी० झा
4. विपिन झा पुत्र स्व० श्री आर०बी० झा
5. श्रीमती ममता शुक्ला पत्नी श्री निर्भय शुक्ला
6. श्रीमती विशाखा झा पत्नी श्री विपिन झा

सभी निवासीगण कलियासोत चौराहा काली मंदिर के पास

गेश चंद्र विद्या, कांठ

ताज दि. 18/11/14 क्वैना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल (म०प्र०)

.....निगरानीकर्तागण

वृद्ध
क्लर्क ऑफ कोर्ट 18/11/14

विरुद्ध

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. कलेक्टर जिला भोपाल (म०प्र०)

2. तहसीलदार तहसील, राजधानी परियोजना

नजूल वृत्त जिला भोपाल (म०प्र०)

.....गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा - 50 के अंतर्गत

निगरानी विरुद्ध कलेक्टर जिला भोपाल (म०प्र०) का प्रकरण

क्रमांक 07/अ-68/08-09 पारित आदेश दिनांक 13.02.2014

वृद्ध

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 3832-18/15 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.9.2015	<p>आवेदकगण की ओर से श्री हरीश चन्द्र तिवारी अभिभाषक उपाधीपत। अग्रयता पर बुना गया। क्वेश्चर के प्रश्नावली आदेश दिनांक 13.2.2014 को देखते से स्पष्ट है कि क्वेश्चर द्वारा अभी न्यून अधिकारी को म० प्र० भू राजस्व संविदा 1959 की धारा 248 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं, कोई आदेश पाले नहीं किया गया है। अतः यह निर्गामी प्रथम दृष्टया प्री-मेच्योर होने से अग्रय की जाती है।</p>	<p>(H) तिवारी 29/9/15</p> <p>अध्यक्ष</p>